

मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ-20-14 / 2014 / बी-ग्यारह
प्रति,

भोपाल, दिनांक 14/10/2014

उद्योग आयुक्त,
मध्यप्रदेश भोपाल,

विषय :- उद्योग संवर्धन नीति, 2010 (यथा संशोधित, 2012) अन्तर्गत थ्रस्ट सेक्टर उद्योगों की सूची का निर्धारण।

उद्योग संवर्धन नीति, 2010 (यथा संशोधित, 2012) का बिन्दु क्रमांक 15.14 में निम्नानुसार है:-

15.14 थ्रस्ट सेक्टर उद्योगों को सहायता:- रुपये 50.00 लाख से अधिक स्थाई पूंजी वेष्टन वाले वस्त्र उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी, आटोमोबाइल्स एवं आटोकम्पोनेट्स, फार्मास्युटीकल, हर्बल, फूड प्रोसेसिंग कृषि एवं शहरी तथा औद्योगिक अपशिष्ट प्रसंस्करण पर आधारित जिन उद्योगों को थ्रस्ट सेक्टर की श्रेणी में रखा गया है, उन्हें विशेष प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से थ्रस्ट सेक्टर के लघु श्रेणी के उद्योगों के लिए समस्त जिलों में विशेष अनुदान के रूप में 25 प्रतिशत की दर से अधिकतम रुपये 30.00 लाख की सहायता दी जाएगी। मध्यम श्रेणी के थ्रस्ट सेक्टर अन्तर्गत आने वाले उद्योगों को जिलों की श्रेणी अनुसार 25 प्रतिशत की दर से अधिकतम पिछड़ा "अ" जिले में रुपये 12 लाख "ब" जिले में रुपये 18 लाख एवं "स" जिले में रुपये 30 लाख की सहायता दी जावेगी। "

2/ राज्य शासन द्वारा उद्योग संवर्धन नीति, 2010 (यथा संशोधित, 2012) अन्तर्गत थ्रस्ट सेक्टर उद्योगों की सूची का निर्धारण निम्न शर्त के आधीन किया जाता है :-

" उद्योग संवर्धन नीति, 2010 की प्रभावशील अवधि दिनांक 01.11.2010 से दिनांक 31.10.2015 के मध्य वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने वाली इकाईयों को ही थ्रस्ट सेक्टर अन्तर्गत घोषित सुविधाओं का लाभ दिया जावे। उक्त इकाईयों को राज्य शासन के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाएं जिनमें निवेशकों के लिए अनुदान सहायता का प्रावधान हो, में से किसी एक योजना अन्तर्गत सहायता की पात्रता होगी। पूंजीगत अनुदान राज्य शासन की एक से अधिक योजना में देय नहीं होगा। "

3/ निर्धारित सूची संलग्न प्रेषित है, कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(एम.एस. सोलंकी)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

(2)

पृ. क्रमांक एफ-20-14 / 2014 / बी-ग्यारह
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक / 10 / 2014

- 1/ प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल।
- 2/ महालेखाकार लेखा एवं हकदारी / लेखा एवं परीक्षा ग्वालियर मध्यप्रदेश।
- 3/ प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लि. /
मध्यप्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि. भोपाल।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

थ्रस्ट सेक्टर अंतर्गत उद्योगों की सूची

परिशिष्ट

थ्रस्ट सेक्टर अंतर्गत विशेष सहायता हेतु पात्र आयटम्स का निर्माण करने वाले उद्योग

1. टेक्सटाईल इण्डस्ट्री

- (1) गारमेंट्स एण्ड मेड-अप्स विनिर्माण
- (2) निटिंग इण्डस्ट्री
- (3) निटिंग एण्ड निटेड वस्त्र विनिर्माण उद्योग
- (4) स्पिनिंग
- (5) वीविंग
- (6) (i) फाईबर (ii) यार्न (iii) फेब्रिक (iv) वारपिंग (v) साईजिंग
(vi) यार्न साईजिंग प्लांट (vii) प्रोसेसिंग प्लांट (viii) क्लॉथ केलेण्डरिंग प्लांट
- (7) अन्य कोई उत्पाद जो राज्य शासन द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जावे।

2- हर्बल उद्योग

- (1) हर्बल डाइट्री सप्लीमेंट
- (2) हर्बल कॉस्मेटिक एण्ड नैचुरल प्रोडक्ट्स
- (3) हर्बल औषधियां
- (4) शैलाख (Shellac)
- (5) शहद
- (6) मूल्य संवर्धित बॉस के उत्पाद
- (7) रेशे (Fibre) एवं इनके मूल्य संवर्धित उत्पाद
- (8) शाक रंग (Veg.Dyes)
- (9) अखाद्य तेल (Non-Edible Oil) से बना बॉयोडीजल
- (10) वेटेनरी फार्मैलिटिकल और न्यूट्रासिटीकल उत्पाद

3. कृषि, शहरी एवं औद्योगिक अपशिष्ट प्रसंस्करण

- 1- कृषि आधारित उत्पादों के लिये बॉयो-डिग्रेडेबल पैकेजिंग मटेरियल उद्योग(प्लास्टिक पैकेजिंग को छोड़कर)।
- 2- कृषि अपशिष्ट से उत्पाद जैसे-पार्टिकल बोर्ड, स्ट्रा बोर्ड, पेपर, पेपर शीट विनिर्माण करने वाली इकाईयाँ।

- 3- ऐसी कोई औद्योगिक/प्रसंस्करण गतिविधि, जो शहरी ठोस या तरल अपशिष्ट का उपयोग करे।
- 4- उपयोग किये गये/जले हुए लुब्रिकेन्ट आइल का रिक्लेमेशन और रि-रिफाइनिंग।
- 5- फ्लाई एश आधारित इकाईयाँ जैसे - ईट, ब्लाक्स, टाईल्स आदि।
- 6- अन्य कोई उत्पाद जो राज्य शासन द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जावे।
- 7- शहरी ठोस अपशिष्ट से जैविक खाद बनाये जाने के संबंधित उद्योग।
- 8- नगरीय प्लास्टिक अपशिष्ट के पुर्न उपयोग से संबंधित इकाईयाँ।
- 9- नगरीय दूषित जल के पुनः उपयोग से संबंधित इकाईयाँ।

4. खाद्य प्रसंस्करण अंतर्गत उत्पादों की सूची।

- (1) विनिर्माण एवं पैकेज्ड सब्जियाँ और फल, (निर्जलित सब्जियों को सम्मिलित करते हुए)।
- (2) विनिर्माण एवं पैकेज्ड सॉसेज, प्युरीज एण्ड पल्पस एण्ड केचअप (टमाटर पेस्ट को सम्मिलित करते हुए)।
- (3) विनिर्माण एवं पैकेज्ड अनाज आधारित खाद्य (कार्न फ्लेक्स और जौ के आटा को सम्मिलित करते हुए)।
- (4) विनिर्माण एवं पैकेज्ड मसाला एवं मसाला पाउडर (प्याज पाउडर, लहसुन पाउडर एवं पैकेज्ड आयोडीनयुक्त नमक को सम्मिलित करते हुए)।
- (5) विनिर्माण एवं पैकेज्ड लहसुन तेल, जैतून तेल और सिरका।
- (6) विनिर्माण एवं पैकेज्ड मुरुब्बा, जैम, जेलीज और अचार।
- (7) विनिर्माण एवं पैकेज्ड ऑलियोरेजिन्स।
- (8) विनिर्माण एवं पैकेज्ड साल्वेंट एक्स्ट्रैक्टेड आइल या पैकेज्ड रिफाइनड आइल जो ऐसी इकाई से उत्पादित है, जो साल्वेंट एक्स्ट्रैक्शन प्लांट से सम्बद्ध हो (पैकेज्ड साल्वेंट एक्स्ट्रैक्टेड चावल की भूसी का खाद्य तेल और मेंगो केरनेल आइल को सम्मिलित करते हुए)।
- (9) विनिर्माण एवं पैकेज्ड माल्ट आधारित खाद्य उत्पाद (मदिरा को छोड़कर)
- (10) विनिर्माण एवं पैकेज्ड इन्सटेंट फूड
- (11) विनिर्माण एवं पैकेज्ड इन्सटेंट चाय और कॉफी
- (12) विनिर्माण एवं पैकेज्ड दूध के उत्पाद जैसे-कन्डेन्सड मिल्क और दूध पाउडर।
- (13) विनिर्माण एवं पैकेज्ड कन्फेक्शनरी आइटम्स, चाकलेट्स सहित।
- (14) विनिर्माण एवं पैकेज्ड पेक्टिन एण्ड पेपेन (पपीता से) और लाईम वेस्ट से पेक्टिन।

- (15) विनिर्माण एवं पैकेज्ड खाने के लिए तैयार रेडी-मिक्स एवं इन्स्टेंट फूड आईटम्स जो पैकेज्ड स्नेक्स एण्ड पैकेज्ड एक्सट्रूडेड फूड के रूप में बेचे जावें।
- (16) विनिर्माण एवं पैकेज्ड सोया मिल्क और फ्रूट या वेजीटेबल आधारित बेवरेजेस सोल्ड इन पैकेजेस (पैकेज्ड फ्रूट्स और वेजीटेबल कन्सन्ट्रेट्स, कार्डीयल्स एण्ड स्क्वाशेस को सम्मिलित करते हुए)।
- (17) विनिर्माण एवं पैकेज्ड सोया आधारित प्रोडक्ट्स जैसे टेक्सचर्ड वेजीटेबल प्रोटीन्स एण्ड स्नैक फूड, डिफेटेड सोया फ्लोर, फुल फेटेड सोया फ्लोर, सोया कन्सन्ट्रेट लेसीथिन, इपोक्सीडाईज्ड सोयाबीन आईल (फूड ग्रेड) सोया आइसोलेट्स, सोया पोटीन्ग और नीएमएस (ग्लूको गेले नीगरेट)
- (18) विनिर्माण एवं पैकेज्ड शुगर, क्यूब्स और शुगर पैकड इन कन्जूमर पैकेजेस जैसे सैशे।
- (19) विनिर्माण एवं पैकेज्ड बेकरी प्रोडक्ट्स (ब्रेड, केक्स, बन्स और बिस्कुट्स को सम्मिलित करते हुए)
- (20) विनिर्माण एवं पैकेज्ड ग्लिसरीन (फूड ग्रेड)
- (21) विनिर्माण एवं पैकेज्ड इडीबल साल फेट
- (22) विनिर्माण एवं पैकेज्ड पाश्चुरीकृत मक्खन, मार्गेरीन, चीज वनस्पति एण्ड बेकरी शार्टेनिंग जैसे यीस्ट।
- (23) विनिर्माण एवं पैकेज्ड इडीबल ग्रेड जिलेटिन
- (24) विनिर्माण एवं पैकेज्ड कन्टेनर्स एवं प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों हेतु पैकेजेस।
- (25) विनिर्माण एवं पैकेज्ड अंगूर की शराब जिसमें अल्कोहल की मात्रा 15% से अधिक नहीं हो।
- (26) विनिर्माण एवं पैकेज्ड चुकंदर प्रसंस्करण इकाई।
- (27) विनिर्माण एवं पैकेज्ड ग्रेन मिलिंग सेक्टर जैसे राईस मिलिंग फ्लोर मिलिंग पल्स प्रोसेसिंग एण्ड आईल मिलिंग इण्डस्ट्रीज जिनमें प्लांट एण्ड मशीनरी में पूंजी निवेश रु. 50 (पचास) लाख से कम नहीं हो।
- (28) विनिर्माण एवं पैकेज्ड शहद प्रसंस्करण की इकाईयां।
- (29) विनिर्माण एवं पैकेज्ड डिब्बाबंद खाद्य इकाईयां।
- (30) कृषि, उद्यानिकी एवं वानिकी उत्पादों की ग्रेडिंग, पैकिंग, सार्टिंग वेक्सिंग इकाईयां

(31) कोल्ड चेम्बर, कोल्ड चेन, प्री-कूलिंग इकाई एवं
राईपनिंग चेम्बर रेफीजरेटेड वेन एवं कन्टेनर
इन्डिविज्यूल क्वीक फ्रीजिंग इकाईयां

5. द बायोटेक इण्डस्ट्री एण्ड बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स

परिभाषाएं

1. बायोटेक्नोलॉजी यूनिट्स -

बायोटेक्नोलॉजी (बीटी) इकाई से आशय ऐसी इकाई, जो बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स के निर्माण अथवा उनके अनुसंधान एवं विकास में संलग्न हो या जैविक तंत्र सूचना संबंधी सेवायें उपलब्ध कराये, से है।

2. बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स -

बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स से आशय ऐसा उत्पाद है जो स्पेशिफाईड लिविंग सिस्टम/या उनके एन्जाइम्स/बायो कटेलिस्ट के उपयोग द्वारा या

- जेनेटिंग इंजीनियरिंग
- प्रोटीन इंजीनियरिंग
- सेल/टिशू कल्चर/इंजीनियरिंग
- बायोट्रांसफॉर्मेशन
- जीन थेरेपी

से उत्पन्न (derived) हुआ हो।

उपरोक्त परिभाषा के अनुसार बायोटेक्नोलॉजी इकाई थ्रस्ट सेक्टर उद्योग के अंतर्गत मानी जायेगी।

6. कैटेगरीज आफ इण्डस्ट्रीज इन्क्लुडेड इन द स्कोप/डेफीनिशन आफ इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी इण्डस्ट्री

(A) कम्प्यूटिंग डिवाइसेज :

आल टाईप्स आफ कम्प्यूटर्स, पेरिफेरल्स एण्ड देयर पार्ट्स

(B) नेट-वर्किंग प्रोडक्ट्स :

नेट-वर्किंग इक्विपमेंट्स, कन्ट्रोलर कार्ड्स एण्ड एसेसरीज

(C) स्टोरेज यूनिट्स इन्क्लुडिंग :

इन्टरनल एण्ड स्टोरेज डिवाइसेज, रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस इन्क्लुडिंग ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेज एण्ड देयर पार्ट्स

(D) प्रिंटर्स एण्ड आउटपुट डिवाइस इन्क्लुडिंग :

आल टाईप्स आफ प्रिंटर्स, प्लोटर्स, स्कैनर्स एण्ड मल्टीफंक्शन डिवाइस

- (E) नेट-वर्किंग / केबलिंग एण्ड रिलेटेड एसेसरीज (रिलेटेड टू आई.टी. इण्डस्ट्री)
- (F) कन्ज्यूमेबल्स यूज्ड इन प्रिंटिंग एण्ड इमेजिंग डिवाइस
- (G) इलेक्ट्रॉनिक कम्पोनेन्ट्स, यूज्ड फार कम्प्युटर्स एण्ड अदर आईटी, टेलीकॉम एण्ड इलेक्ट्रॉनिक इक्युपमेन्ट्स
- (H) आल टाईप आफ इलेक्ट्रॉनिक एण्ड टेलीकम्युनिकेशन इक्युपमेन्ट्स

नोट :-

कम्पोनेन्ट्स आणक्यस का सौदा (deal) करने वाले होल-सेलर्स, रिटेलर्स, मार्केटिंग एजेन्ट्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, कन्साईनमेंट एण्ड फारवर्डिंग एजेन्ट्स सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में सम्मिलित नहीं होंगे।

उपरोक्त सूचीबद्ध आयटम्स में एसेसरीज/पार्ट्स, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग / कम्पोनेन्ट्स में सम्मिलित होंगे।

एनी कम्पोनेन्ट्स/इक्युपमेंट यूज्ड इन आईटी/इलेक्ट्रॉनिक इण्डस्ट्री विथ ए डिफरन्ट नोमेनक्लेचर बट प्रिमरिली परफार्मिंग फंक्शन्स आईडेंटिकल टू द कम्पोनेन्ट्स/इक्युपमेन्ट गिवन एवव शेल क्वालिफाई एज आईटी इण्डस्ट्री

आल कम्पोनेन्ट्स लिस्टेड एवव आर फार आईटी/ इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन्स, कम्पोनेन्ट्स विथ आईडेंटिकल नोमेनक्लेचर बट मेन्युफेक्चर्ड फार यूज्ड इन अदर इण्डस्ट्री लाईक पॉवर शेल नॉट क्वालिफाई फार द डेफीनेशन ऑफ आईटी इण्डस्ट्री

उपरोक्त सूची में व्याख्या/विवेचना संबंधी विवाद होने की स्थिति में किसी प्रकरण विशेष में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग स्पष्टीकरण जारी कर सकेगा।

7. (ए) ऑटोमोबाईल उद्योग

ऑटोमोबाईल व्हीकल्स, मशीनरी एण्ड इक्युपमेन्ट विनिर्माण, जो निम्न सेक्टर्स में उपयोग हों :-

- (1) कृषि उपकरण/मशीनरी जैसे ट्रैक्टर, टिलर्स आदि।
- (2) सार्वजनिक परिवहन एवं सार्वजनिक उपयोग हेतु वाहन जैसे आटो रिकशा, एम्बुलेंस, फायर-फाइटिंग व्हीकल, बेटरी चलित ऑटोमोबाईल आदि।
- (3) छोटे परिवहन वाहन जैसे कार, जीप, टू व्हीलर्स आदि।
- (4) निर्माण कार्य प्रयोजन हेतु उपयोग में आने वाली ऑटोमोबाईल आधारित मशीनरी जैसे जमीन खोदने वाले उपकरण, डम्पर, क्रेन्स आदि।

- (5) अन्य ऐसे वाहन/मशीनरी/उपकरण जो राज्य शासन द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किये जावें।

(बी) ऑटोमोबाईल कम्पोनेंट्स

- (1) ऑटोमोबाईल इंजिन पार्ट्स एण्ड एसेसरीज जैसे पिस्टन, पिस्टन रिंग्स, नोजल, नोजल-होल्डर, फिल्टर्स, गेस्केट्स, इंजिन वाल्व, स्पार्क प्लग, रेडियेटर्स, इनलेट मेनीफोल्ड एण्ड एक्झास्ट मेनीफोल्ड, सिलेण्डर ब्लॉक्स हेतु सिलेण्डर हेड, क्रैन्क-शेफ्ट, केम-शेफ्ट, टेपेट्स, फ्लाइंग व्हील्स एण्ड इट्स हाउसिंग आदि।
- (2) मैन बांडा एण्ड इट्स सपाट सिस्टम पार्ट्स जैसे चेसिस, टाई रॉड, प्रॉपेलर शेफ्ट, शॉक-एब्जाबर्स, एक्सल शेफ्ट, लीफ स्प्रिंग, बियरिंग आदि।
- (3) अन्य जैसे ब्रेकिंग सिस्टम, क्लच प्लेट एण्ड इट्स फिटिंग्स, फास्टनर्स, गियर बाक्सेज, टायर्स एण्ड ट्यूब्स, बैटरीज, लाईट असेम्बली, सिलेण्डर्स, रबर एण्ड बुशेज, सेफ्टी बेल्ट सिस्टम, बम्पर्स, फ्यूल टैंक, आरयूपीडी (रियर अण्डर प्रोटेक्शन डिवाईस) एसयूपीडी (साईड अण्डर प्रोटेक्शन डिवाईस) प्लास्टिक कम्पोनेंट्स-डेश बोर्ड, इनर केबिन, ट्रिम, पार्ट्स आदि।
- (4) ग्लास - लेमिनेटेड ग्लास यूज्ड एज विण्डस्क्रीन्स इन व्हीकल्स
- (5) रियर - व्यू मिरर (आउटसाईड एण्ड इनसाईड)
- (6) डोर लॉक एण्ड डोर हिंज
- (7) अन्य कोई कम्पोनेंट्स जो राज्य शासन द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किये जावें।

8. भारत सरकार द्वारा समय-समय पर प्रकाशित अत्यावश्यक औषधियों की सूची में दर्शाये गई औषधियों संबंधी फार्मास्युटिकल उद्योग।

List of industries under Thurst Sector

Industry manufacturing following item shall be eligible for special assistance under thurst sector.

1. Textile Industry

- (1) Garments & Made-ups manufacturing
- (2) Knitting industry
- (3) Knitting and knitted cloth manufacturing industry.
- (4) Spinning
- (5) Weaving
- (6) (i) Fibre (ii) Yarn (iii) Fabric (iv) warping (v) Sizing (vi) Yarn Sizing Plant (vii). Processing Plant (viii) Cloth Calendering Plant
- (7) Such other products as may be notified by the State government from time to time.

2. Herbal Industry

- (1) Herbal Dietry Supplement
- (2) Herbal Cosmetic and Natural Products
- (3) Herbal Medicines
- (4) Shellac
- (5) Honey
- (6) Products of Value added Bamboo
- (7) Fibre and its Value added Products
- (8) Veg.Dyes
- (9) Bio-diesel made from Non-Edible Oil
- (10) Veterinary Pharmalitical and Nutraceutical Products

3. Agro and Urban & Industrial Waste Processing

- (1) Biodegradable packaging material (excluding plastic packing) industry for agro based products.
- (2) Units manufacturing products such as particle board, straw board, paper, paper sheet from agricultural waste.



- (3) Any Industrial/processing activity which utilizes Urban solid or liquid waste.
- (4) Reclamation and Re-refining of used/burnt Lubricants Oil.
- (5) Fly ash based units such as bricks, blocks, tiles etc.
- (6) Such other products as may be notified by the State Government from time to time.
- (7) Industries related with manufacturing Biological Fertilizer from Urban Solid waste
- (8) Industries related with re-use of Municipal plastic waste.
- (9) Industries related with Re-use of Urban polluted water.

4. List of products of Food Processing

1. Manufactured and packaged vegetables and fruits including dehydrated vegetables.
2. Manufactured and packaged sauces, purees and pulps and ketchup including tomato paste.
3. Manufactured and packaged cereal based foods including cornflakes and oat meal.
4. Manufactured and packaged spices and spice based powder, including onion powder and garlic powder and packaged iodized salt.
5. Manufactured and packaged garlic oil, olive oil and vinegar.
6. Manufactured and packaged marmalades, Jams, Jellies and pickles.
7. Manufactured and packaged oleoresins.
8. Manufactured and packaged solvent extruded oil or packaged refined oil produced in a unit which is attached to a solvent extrusion plant including packaged solvent extracted rice bran edible oil and mango kernel oil.
9. Manufactured and Packaged malt based food products excluding liquor.
10. Manufactured and Packaged instant food.
11. Manufactured and Packaged instant tea & coffee.
12. Manufactured and Packaged milk products like condensed milk & milk powder.
13. Manufactured and Packaged confectionery items including chocolates.



14. Manufactured and Packaged pectin and papa in from papaya and pectin from time waste.
15. Manufactured and Packaged Ready to eat ready-mix and instant food items sold as packaged snacks and packaged extruded food.
16. Manufactured and Packaged Soya milk and fruit or vegetable based beverages sold in packages including packaged fruits and vegetable concentrates, cordials and squashes.
17. Manufactured and Packaged Soya based products like textured vegetable proteins and snack food defatted Soya flour full fatted Soya flour, Soya concentrate lecithin, epoxydised Soya bean oil (food grade), Soya isolates, Soya proteins and GMS (Gluc Mono Stearate)
18. Manufactured and Packaged Sugar cubes and sugar packed in consumer packages like sachets.
19. Manufactured and Packaged Bakery products including bread, cakes, buns & biscuits.
20. Manufactured and Packaged Glycerin (Food grade).
21. Manufactured and Packaged Edible Sal fat.
22. Manufactured and Packaged Pasteurized butter, margarine, chees vanspati and bakery shortening such as yeast.
23. Manufactured and Packaged Edible grade gelatin
24. Manufactured and Packaged Containers and packages for processed food items.
25. Manufactured and Packaged Grape wine industries where wine does not contain more than 15% alcohol.
26. Manufactured and Packaged Sugar beet processing plant.
27. Manufactured and Packaged Grain milling sector i.e. rice milling flour milling pulse processing and oil milling industries in which the investment in plant and machinery shall not less than 50 lacs.
28. Manufactured and Packaged Honey processing units.
29. Manufactured and Packaged Canned Food units
30. Grading, packing, sorting, waxing of agriculture, horticulture and forest produce.
31. Cold chamber, cold chain, pre-cooling unit and ripening chamber, refrigerated van and individual quick freezing container.



5. THE BIOTECH INDUSTRY AND BIOTECHNOLOGY PRODUCTS

Definitions-

Biotechnology Unit:

A Biotechnology (PT) Unit means a unit engaged in manufacture of biotechnology products or their research and development or offering a service related to living system.

Biotechnology products:

Biotechnology Product means a product which is derived by used specified living system and /or their enzymes/bio catalysts through

- either
- a. Genetic Engineering
 - b. Protein Engineering
 - c. Cell/Tissue culture/ Engineering
 - d. Biotransformation
 - e. Gene therapy

Biotechnology units as per above definition shall fall under thrust sector industries.

6. Categories of Industries included in the Scope/definition of Information Technology Industry

(A) Computing Devices:


All types of computers, peripherals and their parts.

(B) Net-working Products:

Networking equipments, controller cards and accessories.

(C) Storage Units including:

Internal & External storage devices, removable storage devices including optical storage devices and their parts.



(D) Printers and Output Devices including:

All types of Printers, plotters, scanners and multifunction devices.

(E) Net-working/cabling & related accessories (related to I.T Industry);

(F) Consumables used in printing & imaging devices.

(G) Electronic Components: Used for computers & Other IT, Telecom & Electronic Equipments.

(H) All types of Electronics & Telecommunication Equipments.

Note:-

Whole sellers, retailers, marketing agents, distributors, consignment and forwarding agents dealing in the above items shall not be included as "information Technology Industry".

Accessories/Parts for the items listed above shall be included as IT Industry/ Components.

Any component/equipment used in IT/Electronic Industry with a different nomenclature but primarily performing functions identical to the Components/Equipment given above shall qualify as IT Industry.

All Components listed above are for IT/Electronics applications, Components with identical nomenclature but manufactured for used in other industry like Power shall not qualify for the definition of IT Industry.

In case of a dispute in interpretation of the above list, clarification can be provided by IT department in specific cases.

7. (A) Automobile Industry-

Manufacturing of Automobile vehicles, machinery and equipments for used in the following sectors:

- (1) Agriculture equipments/ machinery such as Tractors, tillers etc.
- (2) Public transport and public utility vehicles such as auto rickshaw, ambulance, fire-fighting vehicle, battery operated automobile etc.
- (3) Small transport vehicles such as Car, Jeep, Two-wheelers etc.
- (4) Automobile based machinery for construction purposes such as Earth digging equipments, Dumper, Cranes etc.

- (5) Such other vehicles/machinery/equipments as may be notified by the State Government from time to time.

(B) Automobile Components

- (1) Automobile engine parts and accessories such as piston, piston rings, nozzle, Nozzle - holder, filters, gaskets, engine valve, spark plug, radiators, inlet manifold and exhaust manifold, cylinder head for cylinder blocks, crank - shaft, cam-shaft, tappets, flywheels and its housing etc.
- (2) Main body and its support system parts such as chassis, tie rod, propeller shaft, Shock- absorber, axle shaft, leaf spring, bearing etc.
- (3) Others such as Braking system, clutch plate and its fittings, fasteners, gear boxes, tyres and tubes batteries, light assembly, silencers, rubber and bushes, safety belt system, bumpers, fuel tank, RUPD (Rear Under Protection Device), SUPD (side Under Protection Device) plastic components-dash board, inner cabin, trim parts, etc.
- (4) Glass - laminated glass used as windscreens in Vehicles.
- (5) Rear - view mirror (outside and inside)
- (6) Door lock and door hinge.
- (7) Such other Components as may be notified by the State Government from time to time.

8. Pharma units established/to be established for manufacturing of medicines, contained in the National list of Essential Medicines issued by the Directorate General of Health Services, Government of India From time to time

